हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
राजस्व वाद संख्या 26/2018 अनवान नारायणराम वगैरा बनाम लिखमाराम वगैरा अन्तर्गत धारा 53, 136 एवं 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादीगण की ओर से वाद बंटवाडा एवं रेकर्ड दुरस्ती हेतु पेश किया गया। जिसमें वादीगण ने वाद पत्र में वर्णित भूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की शामलाती भूमि होना अंकित किया जिसका बाई मीट्स बाउण्डरा बंटवाडा नहीं होने के अभिवचन किए। वादीगण ने वाद पत्र के साथ एनेक्साचर– 1 एवं 2 द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य प्रस्तावित बंटवाडा प्रस्तुत किया तथा एनेक्साचर– 1 एवं 2 के अनुसार बंटवाडा की डिक्री पारीत किये जाने की प्रार्थना की तथा राजस्व रेकर्ड में अंकित लाखाराम के स्थान पर लिखमाराम किए जाने की प्रार्थना की। वादी का वाद दर्ज किया। जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा प्रस्तुत कर वाद पत्र के कथनों पर स्वीकृति एवं सहमति प्रदान कर एनेक्सचर 1 एवं एनेक्साचर 2 के अनुसार वाद डिक्री किया जाकर राजस्व रकर्ड में किए जाने हेतु सहमति प्रदान की तथा लाखाराम के स्थान पर लिखमाराम किए जाने हेतु भी सहमति प्रदान की। चूंकि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार कर लिया गया तथा स्वीकारीयता का जबावदावा पेश कर वाद पत्र के साथ प्रस्तुत एनेक्सचर 1 एवं 2 के अनुसार बंटवाडा कर राजस्व रिकार्ड में दुरस्ती करने हेतु सहमति प्रदान की हैं ऐसी स्थिति में जब पक्षकारान् के मध्य वाद की विषयवस्तु बाबत् कोई विवाद ही नहीं हैं तथा पक्षकारान् में स्वीकृति एवं सहमति हैं तथा कानूनी प्रावधानों के अनुसार दावा डिक्री किए जाने के प्रावधान हैं। इन तमाम परिस्थितियों वाद पत्र एवं प्रस्तुत दस्तावेजों तथा सहमति के जबावदावा के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया जाना कानून सहमत हैं। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर एनेक्सचर 1 एवं 2 के आधार पर चुंकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार किया गया	

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner

हैं। ऐसी स्थिति में उक्त वाद बाबत् कोई विवाद शेष नहीं रहा हैं। ऐसी स्थिति में प्राथमिक डिक्री जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने पर वादीगण का वाद प्राथमिक डिक्री किया गया तथा तहसीलदार लूणी को बंटवाड़ा कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिये गये कि ग्राम शिकारपुरा, पटवार हल्का कांकाणी, भू.अ. निरीक्षक क्षेत्र कांकाणी तहसील लूणी जिला जोधपुर के खेत खसरा नं. खसरा नं. 87 रकबा 28 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नं. 68 रकबा 20 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नं. 79 रकबा 36 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं. 356 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 253 रकबा 22 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नं. 255 रकबा 15 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नं. 257 रकबा 13 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नं. 258 रकबा 18 बीघा 06 बिस्वा, खसरा नं. 259 रकबा 19 बीघा 09 बिस्वा एवं खसरा नं. 313 रकबा 20 बीघा 06 बिस्वा का का मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण के हिस्से अनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर पेश करने हेतु आदेशित किया गया जिसकी पालना में तहसीलदार लूणी के पत्रांक भू.अ. /2020/4717 दिनांक 13.03.2020 के द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव प्राप्त हुआ तदनुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाता हैं। बंटवाड़ा प्रस्ताव के संलग्न मौका फर्द दिनांक 13.03.2020 डिक्री का अंग शुमार हो। तहसीलदार लूणी को तहरीर जारी होकर मौका फर्द दिनांक 13.03.2020 के अनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो। आदेश सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

Scanned by CamScanner